# कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611


पत्रांक-1336 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषयः- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत मोनियॉम्योल-गुगची-भनार-भूमियागाड़-धार की टोली-सब्जी-भेंसखाल-भोलाथल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.259 है0 वनभूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/23185/2016)

संदर्भः- भारत सरकार के पत्रांक सं0 8बी/यू.सी.पी./06/123/2018/एफ.सी./1315 दिनांक 22.09.2023।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या-1281/12-1(2) दिनांक 17.11.2023 (**प्रति संलग्न**) एवं प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर की पत्र संख्या 1836/12-1-2 दिनांक 04.11.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :-

| क0 सं0 | अधिरोपित शर्त | सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति नंही बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी -प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 3 | प्रतिपूरक वनीकरणः- | |
| | (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.518 हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम सुमगढ़ सिविल खसरा नं0 1 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा एकल प्लांटेशन से बचे एवं राज्य सरकार सी0ए0 हेतु Site Sutability certificate इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। | (क) वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि गैर वानिकी भूमि ग्राम सुमगढ़ सिविल भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा। (**संलग्नक-01**) |
| | (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 8.518 है0 ग्राम सुमगढ़ सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो |

| | | |
|---|---|---|
| | करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। | तक रख–रखाव हेतु रू0 28,72,133.00 मात्र (रू0 अठाइस लाख बहत्तर हजार एक सौ तैंतीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR52021033118831066 Dtd 31-03-2021 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 8.518 है0 ग्राम सुमगढ़ का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 1808/छब्बीस–03 वन/2020–21 दिनांक 17.06.2021 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। **(प्रमाण पत्र संलग्न–2 व 3 के अनुसार)** |
| | ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नंही किया गया है। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नंही किया गया है। **(प्रमाण पत्र संलग्न–1 के अनुसार)**। |
| 4 | **शुद्व वर्तमान मूल्य** | |
| (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA न0 556 दिनाक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (Pt.2) दिनाक 18.09.2003 एंव 2/2006–एफ0सी0 दिनाक 03.10.2016 एंव 5–3/2007–एफ.सी.दिनाक 05.02.2009 में जारी दिषानिदेषानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहतः **4.259** है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No.SBINR52021033118831066 Dtd 31.03.2021 द्वारा रू0 27,98,163.00 मात्र (रू0 सताइस लाख अठानबे हजार एक सौ तिरसठ मात्र) जमा की जा चुकी है **(संलग्न 03 के अुनसार)**। | |
| (ख) विषेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राषि, यदि कोई हो,जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयाक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता **(प्रमाण पत्र संलग्न–4)**। | |
| 5 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 138 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 138 वृक्षों का पातन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 6 | State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि गाईडलाइन्स में दिए गये दिषानिर्देषों के पैरा 11.2 |

| | | |
|---|---|---|
| | commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. the state Govt. Will strictly monitor and ensure the no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission. | के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेष की प्रति प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिचित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने के दिंनाक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेष में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नंही की जाएगी के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत हैं (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा) |
| 7 | परियोजना के तहत परियोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएगें। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन ई–पोर्टल (https:// parivesh.nic.in.) के माध्यम से क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फड में स्थानांतरित/जमा किया गया है प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 8 | एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्न–5)** |
| 9 | संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गाति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निष्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 10 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण संरक्षणः अधिनियम 1986 के प्रावधानों के क्रम मे प्रस्ताव में प्रारूप सं0–54 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नंही है। |
| 11 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नंही बदला जाएगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नंही बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 12 | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नंही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 13 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विषेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विषेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 14 | सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जाएगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नंही बनाया जायेगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नंही बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 16 | इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 17 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नही किया जायेगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नंही किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 18 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही किया जायेगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नंही किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 19 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लधन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एंव पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिषानिर्देष फाइल संख्या 11–42/2017FC दिंनाक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम. 1980 का उल्लंघन होगा एंव पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिषानिर्देष फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिंनाक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 20 | पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 21 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति |

| | | |
|---|---|---|
| | तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 22 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय आदेष/अनुदेष आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |
| 23 | अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। |

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

**संलग्नः– यथोपरि।**

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1336 / 12–1 दिनांकित।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।